कार्यालयः सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या/सम्बद्धता/ 53 /2017–18 दिनांक 13 जून 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 903/15–11–2017 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 30.05.2017 द्वारा निजी संस्थान **महात्मा असऊ बाबा के0के0पी0 इन्टीट्यूट आफ एजूकेशन प्लाट नं0–02 टेकनगाढ़ा अमुवारी नरायनपुर सगरी आजमगढ़** को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 से एक यूनिट (50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जाती है–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एंव शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाएं जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.10.2016 एवं 25.10.2016 के कार्यवृत्ति में की गयी संस्तुति तथा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 276/2012 मॉ बैष्णों महिला महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आई0ए0 नं0 9/2016 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2016 के आलोक में लिए गये निर्णय के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु **शैक्षिक सत्र 2016–17 के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2017–18 से एक यूनिट (50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

कृते सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृ0सं0/सम्बद्धता/ 2894–2901 /2017–18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–।।,एल0आई0सी0 बिल्डिंग,भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर–302005(राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान–आजमगढ़।
7. प्रबन्धक/सचिव, महात्मा असऊ बाबा के0के0पी0 इन्टीट्यूट आफ एजूकेशन प्लाट नं0–02 टेकनगाढ़ा अमुवारी नरायनपुर सगरी, आजमगढ ।
8. गार्ड फाइल।

कृते सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, इलाहाबाद।

Scanned with OKEN Scanner

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com
https://msdsuonline.in

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक : 1117 /सम्ब0/2024 दिनांक : 22/02/2024

सेवा में,

प्रबन्धक,
महात्मा असऊ बाबा के0के0पी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन,
टेकनगाढ़ा, अजमतगढ़, आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में स्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–1103(1)/सत्तर–9–2014–2(97)/2014, दिनाँक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0–14, सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37(2) के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पुर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **महात्मा असऊ बाबा के0के0पी0 इन्स्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन,टेकनगाढ़ा, अजमतगढ़,आजमगढ़** (उ0प्र0) को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत–**हिन्दी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, उर्दू, भूगोल, गृह विज्ञान** तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत –**गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान** विषयों का सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधनी दिनांक 01.07.2023 से स्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं उक्त विषयों में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267/सत्तर–2–2005–2(166)/2002, टी0सी0, दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या–5125/सत्तर–2–2005–2 (166), 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा हैं।
4. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि महाविद्यालय द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राजय विश्वविद्यालय, अधिनियम–1973 के विधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेंगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16(33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेवसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण–पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. शासन के पत्र संख्या–2499/सत्तर–4–2022, दिनांक–02 नवम्बर, 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E. का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

22.02.24
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
Statistics Division
New Delhi

Certificate

Reference No. C-58615-2022

This is to certify that SADABRIKSH PANDEY of Mahatma Ashau Baba KKP Institute of Education, Tokangadha, Azamgarh has successfully uploaded the data of All India Survey on Higher Education(AISHE) 2022-2023.

RRajesh
(Shri R. Rajesh)
Deputy Director General

Dated: 04/04/2024

Scanned with OKEN Scanner